न्यायालय :– श्रीमान् राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

नि0 /3370/म/15

78

30

प्र.क्र :–
पेशी दिनांक :– 23-09-2015

सुबोध कुमार अग्रवाल बल्द हुकुम चंद्र अग्रवाल पेशा शेयर ब्रोकर
फुटेरा वार्ड नं.–2 दमोह

....................आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 51 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता।

यह कि पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण न्यायालय श्रीमान् अति0 आयुक्त महोदय सागर के प्रकरण संख्या 283 अ 6/14–15 दिनांक 14/09/2015 को पारित आदेश से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण अन्य आधारों के अलावा निम्नलिखित मुख्य आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है।

<u>मामले के तथ्य</u> :– मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पुनरीक्षणकर्ता ने एक नामांतरण आवेदन श्रीमान् सहायक अधीक्षक नजूल (नवकरण) दमोह के राजस्व प्रकरण क्र. 159 अ/6/वर्ष 2010–11 पक्षकार सुबोध अग्रवाल विरूद्ध म0प्र0 शासन के द्वारा सेल की गई संपत्ति सचिव पुर्नवास विभाग भोपाल के पुर्नवास अधि0 1954 (THE DISPLACES PERSONS (COMPEN SATION AND REHABLATION) act 1954 act no. 44 OF 1954 के रूल 90 (5) एवं रूल 91 (8) के तहत संपत्ति को कय करने के पश्चात् नामातंरण आवेदन प्रस्तुत करने पर रिकार्ड को सुधार न करने पर की गलती से व्यथित होकर यह निगरानी पेश है।

अ. यह कि माननीय भारत सरकार द्वारा 1956 से 1970 तक भारत वर्ष में सभी स्थानों पर शरणार्थियों को व्यवसाय हेतु सेल प्रमाण पत्र जारी कर दुकाने नीलामी के तहत विक्रय की थी। उसी संदर्भ में दमोह स्थित वाराद्वारी सिविल वार्ड नं.–2 दमोह की सीट नं. 42 प्लाट नं. 214 (1) में मेनेजिंग आफीसर इंदौर द्वारा 50 कोठो का नक्शा स्वीकृत कर विक्रय प्रमाण पत्र जारी किए थे। जो कि दस्तावेज क्र. 1 दिनांक 04/04/1958 है।

ब. यह कि शासन को सेल प्रमाण पत्र 90 (5) एवं 91(8) THE DISPECES PERSONS COMPENSION AND REHABILATIN ACT 1954 ACT NO 44 OF 1954 के तहत जारी सेल प्रमाण पत्र के पश्चात् नजूल खसरा पंजीयन में तत्काल सुधार किया जाना था जो कि आज दिनांक तक नही किया गया है एवं नही किया जा रहा है।

स. यह कि अनुविभागीय अधिकारी दमोह द्वारा अपने पत्र दिनांक <u>30/05/2012</u> के द्वारा म0प्र0 पुर्नवास विभाग भोपाल से यह जानकारी चाही गई थी। कोठा क्र. 1 कृष्णामल कोठा कमांक 2 हेरूमल कोठा क्र. 3 से 5 शीतलदास कोठा क्र. 6 नारायण दास को एवं कोठा क 7 होरोमल को प्रदाय किया था। एवं अन्य कोठा अन्य व्यक्तियों को जारी किए थे। दस्तावेज (2) इस संबध में अधीनस्थ न्यायालय के बार–बार पत्र जारी किया किन्तु शासन म.प्र के पुर्नवास विभाग द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। पुनरीक्षण कर्ता ने भी पुर्नवास विभाग भोपाल के कई चक्कर लगाए माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश , शासन भोपाल के समक्ष शिकायत भी दर्ज की प्रकरण को माननीय पुर्नवास विभाग द्वारा संज्ञान में लेते हुए राजस्व निरीक्षक

Xxxix(a)-BR(h)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ----------

प्रकरण कमांक 3370–दो/2015 निगरानी **जिला दमोह**

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों अ हस्ताक्षर
4-11-16	पूर्व पेशी 24-5-16 को उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने जा चुके हैं। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ । अवलोकन किया गया। यह निगरानी अतिरिक्त आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 283 अ-6/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-9-2015 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने सहायक अधीक्षक भू अभिलेख नजूल नवकरण दमोह के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मौजा दमोह नगर की नजूल शीट कमांक 42 प्लाट नंबर 214/1 में से रकबा 52X16 अर्थात 832 वर्गफुट (आगे जिसे वादग्रस्त संपत्ति अंकित किया गया है) पर नामान्तरण किये जाने की प्रार्थना की। सहायक अधीक्षक नजूल नवकरण ने प्रकरण कमांक 161 अ-6/2010-11 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 12-9-11 पारित करके आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी, दमोह के समक्ष अपील कमांक 29/2011-12 अ-6 प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 19-12-2014 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील कमांक 283/अ-6/14-15 प्रस्तुत हुई, जो आदेश दिनॉक 14-9-2015 से निरस्त हुई। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई है। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति इस प्रकार है कि वादग्रस्त संपत्ति को आवेदक ने पुर्नवास अधिनियम 90 (5) एंव नियम 91 (8) के अंतर्गत होना बताया है एंव यह भी बताया है कि भारत सरकार द्वारा सन् 1956 से 1957 के बीच भारत वर्ष में देश विभाजन उपरांत आये सिन्धी शरणार्थियों को व्यवसाय हेतु सेल प्रमाण पत्र जारी करके दुकानें नीलाम कर विकीत की गई थी एंव शरणार्थियों का व्यवस्थापन किया गया था । वादग्रस्त संपत्ति भी इसी कम में है। प्रकरण में आये	

तथ्यों से यह निर्विवाद है कि दमोह स्थित बाराव्दारी सिविल बार्ड का शीट कमांक 42 प्लाट नंबर 214(1) पर मेनेजिंग आफीसर इन्दौर ने 50 कोठे का तत्समय नक्शा तैयार कराकर एंव स्वीकृत कर विकय प्रमाण पत्र जारी किये हैं और यह भूमि विकय स्वरूप नीलामी में प्राप्त होने के कारण निजी संपत्ति है।

4/ प्रकरण में यह भी तथ्य सामने आया है कि वादग्रस्त संपत्ति नीलामी में कृष्णामल्ल बल्द तेजीमल्ल को सन् 1958 में मिली थी एंव उसके व्दारा इसी संपत्ति को 27-10-66 को स्व. जगरानी बहु रघुवर प्रसाद मोदी को विकय कर दिया था और जगरानी व्दारा इसी संपत्ति को सुरेश मोदी को अंतरित किया है और सुरेश मोदी ने वादग्रस्त संपत्ति को आवेदक को दिनांक 3 जून 2011 विकय किया है । जहॉ तक वादग्रस्त संपत्ति का नजूल में नामान्तरण न होने का प्रश्न है नामान्तरण मात्र राजस्व अभिलेख अद्यतन रखने की प्रकिया है जिसे अद्यतन रखने का दायित्व राजस्व कर्मकारों का है। प्रकरण में मूल आधार यह है कि उप पंजीयकों व्दारा विकय पत्र किस आधार पर निष्पादित किये जाते रहे है क्योंकि उनके व्दारा स्वामित्व के अभिलेख के सत्यापन उपरांत ही विकय पत्र संपादित किये गये है। प्रथम विकय पत्र 1958 में भारत वर्ष में देश विभाजन उपरांत आये कृष्णामल्ल के हित में मैनेजिंग आफीसर इन्दौर ने 50 कोठे का तत्समय नक्शा तैयार कराकर एंव स्वीकृत कर वादग्रस्त संपत्ति का विकय प्रमाण पत्र जारी किया है। इसी विकय पत्र के आधार पर स्वामित्व प्रमाण पत्र के सत्यापन पर उप पंजीयक ने तत्समय स्व. जगरानी के हित में हुये वादग्रस्त संपत्ति के विकय पत्र को संपादित किया है। जगरानी व्दारा इसी संपत्ति को सुरेश मोदी को अंतरित किया है तथा सुरेश मोदी के पास संपत्ति आने पर उसके व्दारा आवेदक को संपत्ति पंजीकृत विकय पत्र से विकय की है। प्रकरण में आये तथ्यों से यह स्पष्ट हो चुका है कि वादग्रस्त संपत्ति वर्ष 1956 से 1957 से निरन्तर निम्नानुसार व्यक्तियों के स्वामित्व एंव कब्जे में रही है :-

वर्ष 1956 से 1957 से कृष्णामल्ल

तदुपरांत स्व0 जगरानी

तदुपरांत सुरेश मोदी

दिनांक 3 जून 2011 से सुबोधकुमार

वर्ष 1958 को व्यतीत हुये आज की स्थिति में 59 वर्ष होने को हैं अर्थात 59 वर्ष के अंतराल तक उक्तानुसार व्यक्ति निरन्तर काविज होकर विधिवत् भूमि का अंतरण

करते आ रहे हैं जिसके स्वामित्व का सत्यापन म0प्र0शासन के उप पंजीयकों व्दारा विभिन्न विकय पत्रों के पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर किया है एंव विकय पत्र पंजीयन किये हैं। विचार योग्य है कि यदि वादग्रस्त संपत्ति नजूल विभाग की अथवा मध्य प्रदेश शासन के स्वामित्व की थी, तब वर्ष 1958 से राजस्व अधिकारियों ने 59 वर्ष के अंतराल तक वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त व्यक्तियों के विरूद्व अतिकमण वावत् कार्यवाही भी नहीं की है और न ही बेदखल किया है। निरन्तर 59 वर्ष से चले आ रहे स्वामित्व की भूमि एंव मैनेजिंग आफीसर इन्दौर व्दारा वर्ष 1956 एंव 1957 में शिन्धी शरणार्थियों को आरक्षित एंव वर्ष 1958 में कृष्णामल्ल को आवंटित भूमि को आज की स्थिति में शासकीय नहीं माना जा सकता और पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर आवेदक व्दारा अर्जित बैध स्वत्वों को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता, जब तक कि आवेदक के हित में संपादित विकय पत्र दिनांक 3 जून 2011 को सक्षम न्यायालय शून्य घोषित न कर दे। इन्हीं कारणों से आवेदक विकय पत्र दिनांक 3 जून 2011 से कय की भूमि पर नामान्तरण कराने का अधिकारी है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 283 अ–6/14–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 14–9–2015 एंव अनुविभागीय अधिकारी दमोह व्दारा प्रकरण कमांक 29 अ–6/11–12 में पारित आदेश दिनांक 19–12–14 तथा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख नजूल दमोह व्दारा प्रकरण कमांक 161/अ–6/10–11 में पारित आदेश दिनांक 12–9–11 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव मौजा दमोह नगर की नजूल शीट कमांक 42 प्लाट नंबर 214/1 में से रकबा 832 वर्गफुट पर विकय पत्र के आधार पर आवेदक का नामान्तरण किया जाना स्वीकार किया जाता है।

(सदस्य)